पश्चिमी घाट के संरक्षण की मशक्कत

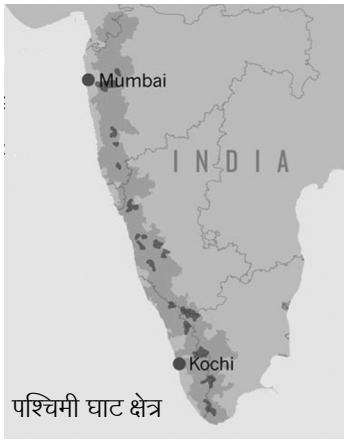

पश्चिमी घाट क्षेत्र

भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी घाट के संरक्षण को लेकर काफी मतभेद उभरे हैं। जैव विविधता की दृष्टि से देखें तो पश्चिमी घाट का क्षेत्रफल जहां भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 6 प्रतिशत है, वहीं यहां देश के पौधों, मछलियों, स्तनधारियों और पक्षियों की 30 प्रतिशत प्रजातियां निवास करती हैं। इसी क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा 39 स्थानों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। लेकिन इस क्षेत्र के संरक्षण और विकास को लेकर तमाम मतभेद हैं।

कुछ समय पहले भारत सरकार ने पश्चिमी घाट के संरक्षण व विकास के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक कामकाजी समूह का गठन किया था। पिछले माह नवंबर में सरकार ने घोषणा की है कि उसने कामकाजी समूह की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि पश्चिमी घाट के एक-तिहाई क्षेत्र को अलग-थलग कर दिया जाए और उसमें किसी भी औद्योगिक गतिविधि की अनुमति न दी जाए।

अपने आप में तो इस घोषणा का स्वागत किया जाना चाहिए मगर मामला इतना सरल भी नहीं है। उपरोक्त कामकाजी समूह से पहले 2010 में सरकार ने ही एक प्रतिष्ठित इकॉलॉजीवेत्ता माधव गाडगिल की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया था। इसे पश्चिमी घाट की इकॉलॉजी व औद्योगिक विकास से सम्बंधित समस्याओं पर विचार करने को कहा गया था। इस विशेषज्ञ पैनल ने 2011 में अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि समूचे पश्चिमी घाट को इकॉलॉजी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया था कि समूचे पश्चिमी घाट क्षेत्र को संवेदनशीलता के स्तर के अनुसार तीन क्षेत्रों में बांटा जाए और सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।

तो स्पष्ट है कि कामकाजी समूह की रिपोर्ट ने विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया है।

अब ये दो समूह (कामकाजी समूह और विशेषज्ञ पैनल) आमने-सामने हैं। नवंबर में सरकार द्वारा एक-तिहाई क्षेत्र को संरक्षित घोषित करने के निर्णय का कई संरक्षणवादियों, किसान संगठनों के अलावा खनन व विनिर्माण उद्योग ने विरोध किया है। मसलन, एन्विरॉनिक्स ट्रस्ट के प्रबंध निदेशक श्रीधर राममूर्ति का मत है कि गाडगिल पैनल की रिपोर्ट के बाद एक और समिति के गठन की कोई ज़रूरत नहीं थी। पश्चिमी घाट के संदर्भ में सर्वाधिक चिंता का विषय गोवा और कर्नाटक में चल रहा प्रदूषणकारी अवैध लौह व मेंगनीज़ खनन है।

कामकाजी समूह के अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन थे जो पूर्व में इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस समूह की रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के मात्र 37 प्रतिशत हिस्से को इकॉलॉजी की दृष्टि से संवेदनशील माना गया है। शेष हिस्से को 'सांस्कृतिक भूभाग' माना गया है और इसमें गांव, कृषि भूमि तथा गैर-वन प्लांटेशन आते हैं।

जहां उद्योगों ने नई रिपोर्ट को एक हद तक संतोषजनक माना है वहीं संरक्षणवादियों का कहना है कस्तूरीरंगन रिपोर्ट ने पश्चिमी घाट के 63 प्रतिशत हिस्से को तो औद्योगिक गतिविधियों के लिए खोल दिया है, जो इस पूरे क्षेत्र के लिए घातक होगा।

विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष माधव गाडगिल ने *नेचर* पत्रिका को एक साक्षात्कार में बताया कि ''कामकाजी समूह ने अपनी रिपोर्ट में मनमाने ढंग से 'प्राकृतिक' और 'सांस्कृतिक' लैण्डस्केप जैसी धारणाओं का उपयोग किया है, जिससे लगता है कि मात्र 'प्राकृतिक' लैण्डस्केप के संरक्षण की ज़रूरत है जबकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।'' गाडगिल ने कस्तूरीरंगन को एक खुले पत्र में कहा है कि ''यह तो ऐसा है कि आप पर्यावरणीय विनाश के मरुस्थल में जैव विविधता के नखलिस्तान के संरक्षण की कोशिश करें।'' ***(स्रोत फीचर्स)***